महत्वपूर्ण

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : एस0ई0सी0टी0एस0 / पत्रा–५५५/2016–17 / ३९५ लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2017

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों में राज्य सरकार द्वारा अनुबन्धित सी0जी0एच0एस0 निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या–रा0स्वा0बी0यो0 / पत्रा–444 / 2016–17 / 04 दिनांक 04 जनवरी 2017 एवं पत्र संख्या–रा0स्वा0बी0यो0 / पत्रा–444 / 2016–17 / 74 दिनांक 30 जनवरी 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों / पेंशनर्स के पंजीकरण हेतु उनके आहरण वितरण अधिकारियों / कोषाधिकारियों के पंजीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने का अनुरोध किया गया था। जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों के इलाज हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुबन्धित सी0जी0एच0एस0 निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 जारी कर दी गयी है। तदनुसार साची (State Agency For Comprehensive Health Insurance) द्वारा "स्टेट हेल्थ कार्ड"(SHC) बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

इसी क्रम में वेबसाइट – **www.upsects.in** पर उपलब्ध डी0डी0ओ0 / टी0ओ0 पंजीकरण (DDO/TO Registration) एवं राज्य कर्मचारियों / पेंशनर्स के पंजीकरण (Employee Gateway ⇨ Apply For SHC) हेतु पृथक प्रारूप उपलब्ध करा दिये गये हैं। ऑनलाईन पंजीकरण का कार्य विगत 02 माह से प्रक्रियाधीन है, परन्तु आज तक प्रदेश में मात्र 760 डी0डी0ओ0 / टी0ओ0 तथा 160 राज्य कर्मचारियों / पेंशनर्स का पंजीकरण हो सका है। योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर समस्त राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का पंजीकरण करते हुए उन्हें "स्टेट हेल्थ कार्ड" जारी किया जाना आवश्यक है। राज्य कर्मचारियों / पेंशनर्स को योजनान्तर्गत पंजीकृत करने से पूर्व उनके डी0डी0ओ0 / टी0ओ0 का पंजीकरण आवश्यक है क्योंकि केवल पंजीकृत डी0डी0ओ0 / टी0ओ0 ही अपने अधीन राज्य कर्मचारी / पेंशनर के आवेदन को सत्यापित करते हुए पंजीकृत कर सकते हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आप से अपेक्षा की जाती है कि जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के साथ ही कोषाधिकारी का वेबसाइट – **www.upsects.in** पर उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुरूप योजनान्तर्गत पंजीकरण सुनिश्चित करायें। साथ ही समस्त डी0डी0ओ0 / टी0ओ0 को यह निर्देश निर्गत करें कि उनके अधीनस्थ / उनसे सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के आवेदन पत्रों को अविलम्ब सत्यापित करते हुए उनका पंजीकरण सुनिश्चित किया जाये। योजना से सम्बन्धित नियमावली एवं दिशा निर्देश वेबसाइट – **www.upsects.in** पर अपलोड कर दिए गए हैं जिनमें पंजीकरण की प्रक्रिया का बिन्दुवार उल्लेख भी उपलब्ध है। किसी जिज्ञासा की स्थिति में फोन नम्बर–0522–6671125 पर सम्पर्क किया जा सकता हैं।

25-03-17

उक्त के अतिरिक्त कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि पंजीकरण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए निम्नांकित प्रारूप पर साप्ताहिक रिपोर्ट (Excel Sheet पर) प्रत्येक सोमवार को ई–मेल द्वारा **support@upsects.in** पर साची (State Agency For Comprehensive Health Insurance) को प्रेषित कर दी जाये।

State Employees Cashless Treatment Scheme					
जनपद का नाम–..................			साप्ताहिक रिपोर्ट दिनांक		
डी0डी0ओ0 / टी0ओ0 की कुल संख्या	पंजीकृत डी0डी0ओ0 / टी0ओ0 की कुल संख्या	राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या	पंजीकृत राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या	पेंशनर्स की कुल संख्या	पंजीकृत पेंशनर्स की कुल संख्या

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक : एस0ई0सी0टी0एस0 / पत्रा–५५५/2016–17/३९५१८ तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
3. विशेष सचिव, चिकित्सा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन।

(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव